राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : एफ 7 (94)परि/नियम/रु. /94/657
जयपुर, दिनांक : 27.04.2012

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 4.6 के उप-नियम (1) हारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय रखते हुए कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है, एससीसी कॉलेज शिखर विभाग की देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोटेस्टेंड राशि योजना के अन्तर्गत राजस्थान माध्यमिक बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा (सीनियर सेकंडरी) की परीक्षा में 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली लड़की तथा राजस्थान राज्य में स्थित राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक डिप्लोमा दूर दर्शन में नियुक्त अध्यापक हेतु प्रदेश लेने वाली प्रथम 500 छात्राओं को प्रोटेस्टेंड के स्कूटी का प्राप्त करने के लिए निषुल्क वितरित किये जा रहे स्कूटी दुर्घटना वाहनों की परीक्षण शुल्क से छूट प्रदान करती है।

राज्यपाल के आदेश से

प्रबणतिप-- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रदेश हेतु प्रेषित है--

1. निदेशक, राज्य केंद्रीय मुद्रागार, जयपुर को राजस्थान राज्य में असाधारण अंक दिनांक 27.04.2012 को प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को निर्देशन की व्यस्तता करे।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गुजरात, राजस्थान।
3. विशिष्ट सधिकारी, गुजराती राज्य मंत्री, यात्राधार (वर्तमान प्रभार), राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, बिहार, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, बिहार, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव।
7. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
8. सर्वसाधारण अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर।
9. श्रीं संजय सिंह, ACP को विभाग की वेबसाइट की आहंकारिता हेतु।
10. सर्वसाधारण/अधिकारी प्रशस्क / जिला परिवहन अधिकारी।
11. सर्वसाधारण, कर संग्रह केंद्र, परिवहन विभाग, जयपुर।
12. संभवत: निदेशक, (अध्यक्षता) कॉलेज शिखर विभाग, राजस्थान जयपुर।
13. अभिनव पत्रावली।

[संदर्भ, दिनांक 27.04.2012]